डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
मंत्री

कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सु
जन अभियोग निराकरण विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक : मंत्री/कृषि.उ./ग्रावि./आ.प्र.स.ना.सु/ज.अ.नि./2026/R-935
जयपुर, दिनांक:- 10/07/2026

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार

विषय– वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढांका, उसके आर्थिक नेटवर्क, खनन लीज एवं सहयोगियों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयोन्तर्गत निवेदन है कि मैं आपका ध्यान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़े एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जैसा कि आपके संज्ञान में है, इस प्रकरण के मुख्य आरोपी सुरेश ढांका के संबंध में मेरे द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जांच एजेंसियों को तथ्य एवं साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि 10 मामलों में वांटेड सुरेश ढांका के फरार रहने के मात्र 14 माह के भीतर उसके पिता को लगभग 20 करोड़ रुपये की बजरी खनन लीज आवंटित की गई है। यह एक गंभीर विषय है, जिसकी विस्तृत जांच अपेक्षित है। इस प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य तथ्यात्मक बिंदु निम्न प्रकार हैं–

- वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक में उदयपुर पुलिस ने जब छापेमारी की तो मैंने उस समय Tweet कर तत्कालीन सरकार को यह कहा की इस पेपर लीक का मुख्य सरगना सुरेश ढांका जयपुर के वैशाली नगर में है उसे

कमरा नं. 6116, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय, जयपुर फोन (ऑफिस) : 0141–2227125
E-mail : mini.agr.drklmeena@rajasthan.gov.in

तुरन्त पकडा जाये, परन्तु SOG की मिलिभगत से सुरेश ढांका 28 दिसंबर 2022 को जयपुर से फरार हो गया।

- सुरेश ढाका पेपर लीक का मुख्य सरगना रहा है, जिसकी अभी तक गिरफतारी नहीं हो पाई है। इन्होंने 2013 से जितनी ऑफलाईन/ऑनलाईन भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें इनका मुख्य भूमिका है।
- 9 जनवरी 2023 को मेरे द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर सुरेश ढाका की अधिगम कोचिंग पर कार्यवाई हुई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुरेश ढाका की संपत्तियों को कुर्क किया।
- 6 अप्रैल 2023 को मैंने एसओजी को लिखित रूप में अवगत कराया था कि सुरेश ढांका की सहयोगी स्पर्धा चौधरी उसकी फरारी में मदद करने के साथ–साथ उसकी संपत्तियों एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। उस समय इस संदर्भ में कोई प्रभावी कार्यवाई नहीं हुई।
- **15 जुलाई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट में सुरेश ढांका की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता श्री सलमान खुर्शीद उपस्थित हुए थे। सुरेश ढाका के लिए यह व्यापक कानूनी व्यवस्था स्पर्धा चौधरी ने की थी। उस समय स्पर्धा चौधरी एवं श्री सलमान खुर्शीद के एक साथ में फोटो भी है, जो अवलोकनार्थ संलग्न है।**
- पूर्व में यह साक्ष्य भी एजेंसियों को दिए गए थे कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में सुरेश ढांका का नेटवर्क सक्रिय था। परीक्षा आयोजन से जुडी टीसीएस कम्पनी के head नरेश भार्गव और मृत्युंजय के साथ सुरेश ढाका द्वारा गठजोड़ कर व्यापक अनियमितताएँ की गईं।

- **<u>सुरेश ढाका की संपत्तियाँ ईडी द्वारा पहले ही अटैच की जा चुकी हैं। ऐसे में उसके पिता को मिली 20 करोड़ रुपये की खनन लीज में निवेशित राशि का स्रोत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए।</u>** वर्तमान में स्पर्धा चौधरी द्वारा इस खनन लीज से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय होने और सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो साझा करने से यह स्पष्ट होता है कि ढांका का आर्थिक नेटवर्क अभी भी उसके सहयोगियों के माध्यम से संचालित है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता एवं युवाओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें–

- सुरेश ढांका, उसके परिजनों, सहयोगियों एवं आर्थिक नेटवर्क की किसी उच्चस्तरीय एसआईटी (SIT) अथवा स्वतंत्र एजेंसी से विस्तृत जांच करवाई जाए।
- सुरेश ढांका के पिता को आवंटित बजरी खनन लीज की स्वीकृति प्रक्रिया एवं उसमें प्रयुक्त धन के स्रोत की जांच हो।
- स्पर्धा चौधरी की भूमिका, उसकी संपत्तियों, बैंक खातों एवं वित्तीय लेन–देन की सघन जांच की जाए।
- ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में सामने आए कथित गठजोड़ के पूरे नेटवर्क की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यदि स्पर्धा चोधरी और सुरेश ढाका के पिता मांगी लाल से गहनता से पूछताच की जाये तो सुरेश ढाका को पकडा जा सकता है और अगर सुरेश ढाका पकडा जाता है तो कांग्रेस के बडे नेता एवं जांच ऐजेन्सी एसओजी के बडे अधिकारियों के नाम भी सामने आयेंगे।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, प्रदेश के करोडों युवाओं के भविष्य और हमारी सरकार की Zero Tolerance की नीति व विश्वसनीयता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है।

सादर।

(डॉ. किरोडी लाल)